न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी :: मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

ना पत्र संख्या 72/2019

गजीतसिंह पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी कंवरपुरा बालाजी तन डूण्डलोद तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

—आवेदक

बनाम

1. कालूराम पुत्र सुरजाराम
2. प्यारेलाल पुत्र कालूराम
3. वेदकोर देवी पत्नी बीरबल
4. बाबूलाल पुत्र बीरबल
5. अशोक कुमार पुत्र बीरबल जाति सभी जाट निवासीगण ग्राम कंवरपुरा बालाजी तन डूण्डलोद तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
6. राजसीन सराकर जरिये लैण्ड लोर्ड तहसीलदार नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

—अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

ऐडवोकेट आवेदक :— श्री विजेन्द्र सिंह दूत
ऐडवोकेट अना0 :— श्री प्रदीप कुमार झाझडिया

आदेश

दिनांक 19.08.2019

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम ग्राम कंवरपुरा बालाजी की सरहद में खाता सं0 10 की कृषि भूमि ख.न. 860/0.01, 861/0.03, 862/2.72, 934/859/0.28, कुल रकबा 3.04 है0 स्थित है जिसको आवेदक व अनावेदकगण नं. 1 लगायत 5 काश्त करते हैं एवं काबिज व आबाद है और शांतिपूर्वक तरिके से उपयोग उपभोग करते हैं जिसके संबंध में आवेदक उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है इसलिये आगे प्रार्थना पत्र में प्रश्नगत कृषि भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। प्रश्नगत कृषि भूमि का पहले खातेदार काश्तकार आवेदक का पूर्वज सुरजाराम पुत्र चिमना था उसके बाद में खातेदारी अणची बेवा सुरजाराम के नाम दर्ज हुई है। आवेदक का पिता अनावेदक नं. 1 इनका गोद का पुत्र है जिनका स्वर्गवास होने के पश्चात प्रश्नगत कृषि भूमि की खातेदारी अनावेदक नं. 1 के नाम दर्ज हुई है। इस कारण वर्तमान समय में प्रश्नगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में खातेदारी अनवोदक नं. 1 के नाम दर्ज है जिसको स्व0 सुरजाराम से विरासतन में मिली हुई भूमि है तथा आवेदक व अनावेदक नं. 2 अनावेदक नं. 1 के पुत्र है और अनावेदकगण नं. 3 लगायत 5 पुत्रवधु व पौत्र हैं, इसलिये प्रश्नगत भूमि आवेदक को उसके पूर्वजों से प्राप्त की गई पैत्रिक सम्पति है, जिसके कानूनी प्रावधानों के मुताबिक आवेदक का जन्मजात हक हिस्सा है अर्थात प्रश्नगत भूमि से आवेदक के जन्म लेते ही हक अधिकार पैदा हो गये हैं उक्त प्रश्नगत भूमि की सिंचाई करने के लिये शामलाती चाह भी बना हुआ है जिससे कृषि विद्युत संबंध वर्तमान खाता सं0 2413/0049 भी स्थापित करवा रखा है। उक्त प्रश्नगत भूमि एवं उसमें स्थित चाह मय विद्युत संबंध सहित आवेदक का 1/4 हिस्सा है, 1/4 हिस्सा अनावेदक नं. 1 और 1/4 हिस्सा अनावेदक नं. 2 का, 1/4 हिस्सा अनावेदकगण नं. 3 लगायत 5 का है इसीप्रकार से कब्जा काश्त है तथा अपनी सुविधा अनुसार उपयोग उपभोग करता है लेकिन प्रश्नगत कृषि भूमि की खातेदारी अकेले अनावेदक नं. 1 के नाम दर्ज होने से अनावेदकगण नं. 1 लगायत 5 ने आपस में मिलकर आवेदक को उसके हक अधिकार व स्वामित्व की पैत्रिक भूमि से वंचित करने के आशय से अनावेदक नं. 1 ने गलत व विधि विरूद्ध तरीके से अपने हिस्से से ज्यादा भूमि का दान पत्र दिनांक 02.07.2019 को अनावेदकगण नं. 2 व 3 के पक्ष में

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

रजिस्टर्ड करवाया है जिसको कानूनी रूप से कोई अधिकार नही था तथा इस प्रकार से ज्यादा भूमि का गलत व विधि विरूद्ध रूप से तस्दीक करवाया है दान पत्र प्रारम्भतः शून्य प्रभावी दस्तावेज है जिसके आधार पर अनावेदकगण नं. 2 व 3 को कोई अधिकार पैदा नही होते हैं लेकिन उक्त गलत व विधि विरूद्ध दान के रजिस्टर्ड करवाने से अनावेदकगण नं. 1 लगायत 5 ने मिल कर उसके आधार पर प्रश्नगत भूमि में अपने नाम से नामा0 भरवाकर खातेदारी दर्ज करवाना चाहते हैं और राजस्व रिकार्ड में तब्दीली करने की कुचेष्टा में लगे हुये हैं। इसिलये उक्त गलत व विधि विरूद्ध दान पत्र आवेदक के अधिकारों के विरूद्ध बेअसर व एबीनिसियो वोइड घोषित किया जाकर निरस्त किया जाना न्याय संगत है और प्रश्नगत भूमि में आवेदक को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे इसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड सही व दुरूस्त किया जाना उचित है जिसके लिये उक्त रिकार्ड सही व दुरूस्त किया जाना उचित है जिसके लिये प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

अनावेदक नं. 1 के तीन पुत्र व तीन पुत्रियां है लेकिन उक्त तीनो पुत्रियों सावित्रि रूकमणी व सम्पत का काफी वर्षो पहले विवाह कर दिया गया है तब से अपने अपने ससुराल रहती है जिनके बच्चे भी काफी बडे हो गये हैं और जिनकी शादिया कर दी गई तथा भात छूछक भी भर दिये गये हैं और सामाजिक रिति रिवाजों के अनुसार त्योंहार व विशेष पर्वो पर बुलाई जाती है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रश्नगत कृषि भूमि ख.न. 860/0.01, 861/0.03, 862/2.72, 934/859/0.28 कुल रकबा 3.04 है0 वाके ग्राम कवरपुरा बालाजी पटवार हल्का डूण्डलोद में आवेदक के 1/4 हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में कोई बाधा व अवरोध पैदा नही करे और ना ही विधि विरूद्ध दान पत्र की आड में राजस्व रिकार्ड में नामा0 भरवाये और ना ही राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवाये तथा किसी वितीय संस्था के भूमि रहन रखकर ऋण अनुदान प्राप्त नही करे तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी अनावेदकगण की गई। अनावेदकगण नं. 1 लगायत 5 की और से वकील श्री प्रदीप कुमार झाझडिया का वकालतनामा व जबाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ। जंबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वर्णित किया गया कि उक्त आराजी अनावेदक सं0 1 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि जिसमें से अनावेदक नं. ————————1 ने भूमि ख.न. 862/2.72, 934/859/0.28 है0 में से 5/7 हिस्से की भूमि अनावेदक सं0 2 प्यारेलाल व अनावेदक सं0 3 वेदकोरदेवी को दान में देदी है। उक्त दान पत्र उप पजियन कार्यालय नवलगढ में दिनांक 02.07.2019 को अनावेदक सं0 1 के द्वारा अनावेदक नं. 2 व 3 के पक्ष में रजिस्टर्ड हुआ है इस प्रकार उक्त भूमि पर अनावेदक नं. 1 लगायत 3 का ही कब्जा काश्त व हक अधिकार है। आवेदक का उक्त आराजी से कोई संबंध सरोकार नही है। सुरजाराम व अणचीदेवी के स्वर्गवास के पश्चात उतराधिकारी अनावेदक नं. 1 था सुरजाराम व अणची पत्नी सुरजाराम का स्वर्गवास हिन्दू उतराधिकार अधि0 लागू के पश्चात हुआ है एवं आराजी का राजस्व रिकार्ड अनावेदक सं0 1 के नाम से दर्ज हुआ है। उक्त प्रश्नगत सम्पति सहदायी सम्पति नही होकर अनावेदक सं0 1 की व्यक्तिगत सम्पति है। प्रश्नगत भूमि व चाह मय विद्युत संबंध में आवेदक को कोई हक व हिस्सा अधिकार नही है। आवेदक का 1/4 हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त करने कथन गलत होने से अस्वीकार है। अनावेदक नं. 1 प्रश्नगत आराजी का एक मात्र खातेदार काश्तकार है जिसको अपनी खातेदारी अधिकारो की भूमि बाबत समस्त हक अधिकार प्राप्त हैं जिसको अपनी खातेदारी अधिकारों के भूमि बाबत समस्त हक अधिकार प्राप्त हैं। अनावेदक नं. 1 ने विधि अनुसार अपनी खातेदारी की भूमि का दान पत्र दिनांक 02.07.2019 को अनावेदक सं0 2 व 3 के पक्ष में रजिस्टर्ड करवाये हें जिसको करवाने का अनावेदक नं. 1 को कानूनन अधिकार प्राप्त था।

प्रतिवादी नं. 1 की तीन पुत्रिया सावित्री रूकमणी सम्पत होना स्वीकार है जो प्रस्तुत वाद प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार है जिन्हे पक्षकार नही बनाया है इसलिये आवश्यक पक्षकार के असंयोजन के कारण उक्त प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से खारीज हाने योग्य है तथा अतिरिक्त उतर में वर्णित किया गया कि अनावेदक सं0 1 के पिता व माता सुरजाराम व अणचीदेवी के स्वर्गवास के पश्चात उनकी सम्पति का न्यागमन उतराधिकार के आधार पर उनके पुत्र अनावेदक नं. 1 में हुआ। अनावेदक सं0 1 को उक्त सम्पति कर्ताखानदान की हैसियत से प्राप्त न होकर स्वयं की व्यक्तिगत हैसियत से प्राप्त हुई है। उक्त

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

अस्टर्ड करवाया है जिसको कानूनी रूप से कोई अधिकार नही था तथा इस प्रकार से ज्यादा भूमि का गलत व विधि विरूद्ध रूप से तस्दीक करवाया है दान पत्र प्रारम्भतः शून्य प्रभावी दस्तावेज है जिसके आधार पर अनावेदकगण नं. 2 व 3 को कोई अधिकार पैदा नही होते हैं लेकिन उक्त गलत व विधि विरूद्ध दान के रजिस्टर्ड करवाने से अनावेदकगण नं. 1 लगायत 5 ने मिल कर उसके आधार पर प्रश्नगत भूमि में अपने नाम से नामा0 भरवाकर खातेदारी दर्ज करवाना चाहते हैं और राजस्व रिकार्ड में तब्दीली करने की कुचेष्टा में लगे हुये हैं। इसिलये उक्त गलत व विधि विरूद्ध दान पत्र आवेदक के अधिकारों के विरूद्ध बेअसर व एबीनिसियो वोइड घोषित किया जाकर निरस्त किया जाना न्याय संगत है और प्रश्नगत भूमि में आवेदक को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे इसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड सही व दुरूस्त किया जाना उचित है जिसके लिये उक्त रिकार्ड सही व दुरूस्त किया जाना उचित है जिसके लिये प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

अनावेदक नं. 1 के तीन पुत्र व तीन पुत्रियां है लेकिन उक्त तीनो पुत्रियों सावित्रि रूकमणी व सम्पत का काफी वर्षो पहले विवाह कर दिया गया है तब से अपने अपने ससुराल रहती है जिनके बच्चे भी काफी बडे हो गये हैं और जिनकी शादिया कर दी गई तथा भात छूछक भी भर दिये गये हैं और सामाजिक रिति रिवाजों के अनुसार त्योंहार व विशेष पर्वो पर बुलाई जाती है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रश्नगत कृषि भूमि ख.न. 860/0.01, 861/0.03, 862/2.72, 934/859/0.28 कुल रकबा 3.04 है0 वाके ग्राम कंवरपुरा बालाजी पटवार हल्का डूण्डलोद में आवेदक के 1/4 हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में कोई बाधा व अवरोध पैदा नही करे और ना ही विधि विरूद्ध दान पत्र की आड में राजस्व रिकार्ड में नामा0 भरवाये और ना ही राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवाये तथा किसी वितीय संस्था के भूमि रहन रखकर ऋण अनुदान प्राप्त नही करे तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी अनावेदकगण की गई। अनावेदकगण नं. 1 लगायत 5 की और से वकील श्री प्रदीप कुमार झाझडिया का वकालतनामा व जबाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ। जंबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वर्णित किया गया कि उक्त आराजी अनावेदक सं0 1 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि जिसमें से अनावेदक नं. ——————1 ने भूमि ख.न. 862/2.72, 934/859/0.28 है0 में से 5/7 हिस्से की भूमि अनावेदक सं0 2 प्यारेलाल व अनावेदक सं0 3 वेदकोरदेवी को दान में देदी है। उक्त दान पत्र उप पजियन कार्यालय नवलगढ में दिनांक 02.07.2019 को अनावेदक सं0 1 के द्वारा अनावेदक नं. 2 व 3 के पक्ष में रजिस्टर्ड हुआ है इस प्रकार उक्त भूमि पर अनावेदक नं. 1 लगायत 3 का ही कब्जा काश्त व हक अधिकार है। आवेदक का उक्त आराजी से कोई संबंध सरोकार नही है। सुरजाराम व अणचीदेवी के स्वर्गवास के पश्चात उतराधिकारी अनावेदक नं. 1 था सुरजाराम व अणची पत्नी सुरजाराम का स्वर्गवास हिन्दू उतराधिकार अधि0 लागू के पश्चात हुआ है एवं आराजी का राजस्व रिकार्ड अनावेदक सं0 1 के नाम से दर्ज हुआ है। उक्त प्रश्नगत सम्पति सहदायी सम्पति नही होकर अनावेदक सं0 1 की व्यक्तिगत सम्पति है। प्रश्नगत भूमि व चाह मय विद्युत संबंध में आवेदक को कोई हक व हिस्सा अधिकार नही है। आवेदक का 1/4 हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त करने कथन गलत होने से अस्वीकार है। अनावेदक नं. 1 प्रश्नगत आराजी का एक मात्र खातेदार काश्तकार है जिसको अपनी खातेदारी अधिकारो की भूमि बाबत समस्त हक अधिकार प्राप्त हैं जिसको अपनी खातेदारी अधिकारों के भूमि बाबत समस्त हक अधिकार प्राप्त हैं। अनावेदक नं. 1 ने विधि अनुसार अपनी खातेदारी की भूमि का दान पत्र दिनांक 02.07.2019 को अनावेदक सं0 2 व 3 के पक्ष में रजिस्टर्ड करवाये हें जिसको करवाने का अनावेदक नं. 1 को कानूनन अधिकार प्राप्त था।

प्रतिवादी नं. 1 की तीन पुत्रिया सावित्री रूकमणी सम्पत होना स्वीकार है जो प्रस्तुत वाद प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार है जिन्हे पक्षकार नही बनाया है इसलिये आवश्यक पक्षकार के असंयोजन के कारण उक्त प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से खारीज हाने योग्य है तथा अतिरिक्त उतर में वर्णित किया गया कि अनावेदक सं0 1 के पिता व माता सुरजाराम व अणचीदेवी के स्वर्गवास के पश्चात उनकी सम्पति का न्यागमन उतराधिकार के आधार पर उनके पुत्र अनावेदक नं. 1 में हुआ। अनावेदक सं0 1 को उक्त सम्पति कर्ताखानदान की हैसियत से प्राप्त न होकर स्वयं की व्यक्तिगत हैसियत से प्राप्त हुई है। उक्त

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

वेदक के पिता अनावेदक सं0 1 को प्राप्त सम्पति प्रश्नगत आराजी अनावेदक सं0 1 की व्यक्तिगत होने के कारण आवेदक का कोई हक अधिकार नही बनता है। हिन्दू उतराधिकार अधि0 की धारा 8 व 14 के तहत प्राप्त सम्पति में पिता के जीवनकाल में पुत्र का कोई अधिकार नही होता है इसलिये आवेदक का प्रश्नगत आराजी में कानूनन कोई अधिकार नही होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र में अनावेदक सं0 1 की पुत्रियां सावित्रि, रूकमणी व सम्पति आवश्यक पक्षकार है जिसको वाद प्रार्थना पत्र में संयाजित नही किये जाने से आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आवश्यक पक्षकारो के असंयोजन के कारण किसी भी प्रकार से चलने योग्य नही है। अप्रार्थी नं. 6 की ओर से पैरोकार राज ने आदेशिका पर कोई सरकार हित नही होना लिखा है।

जबाब प्रार्थना पत्र पेश होने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। बहस के दोरान वकील आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया। वकील अनावेदकगण द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की जाकर कथन किया गया कि अनावेदक नं. 1 को स्व0 सुरजाराम व अणचीदेवी की मृत्यु पश्चात प्राप्त हुई है जिसमे आवेदक का कोई हक हिस्सा नही होना अंकित किया गया। तथा नजीर के रूप में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8, धारा 4, धारा 6व धारा 14 पेश की गई तथा माननीय न्यायालय अपन जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम सं0 9 जयपुर महानगर परिवाद सं0 107/2014 सत्यनारायण बनाम लक्ष्मीनारायण आदि का निर्णय पेश किया तथा इसी न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश कम सं0 3 जयपुर के वाद सं0 236/08(137/13) निर्णय दिनांक 03.06.2017 1987 एआईआर 558 युधिष्ठर बनाम अशोक कुमार 1986 एआईआर 1753 कमिश्नर आफ वेल्थ अैक्स माननीय उच्चतम न्यायालय सिविल अपील सं0 2360/2016 उतम बनाम शैलाग सिंह व अन्य निर्णय दिनाकि 2 मार्च 2016 आदि दस्तावेजात पेश किया गया। अतः पक्षकारान द्वारा प्रार्थना पत्र व जबाब प्रार्थना पत्र तथा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया गया तथा बहस तथ्यों पर मनन किया गया।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा धारा 212 रा.का.अधि. के निस्तारण के लिये न्यायालय को तीन बिन्दुओं जिनमे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति देखनी होती हैं।

1. प्रथम दृष्टया मामलाः— पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार प्रश्नगत भूमि मिसल हकियत मौजा डूण्डलोद संवत 1999 अनुसार ख.न. 255, 257 व 258 सुरजा की काश्त की भूमि रही है। मिलान क्षैत्रफल अनुसार गत ख.न. 255, 257 व 258 से नये ख.न. 792, 793, 794 व 797 बने हैं। पुनः ख.न. 792, 793, 794, 797 के नये ख.न. 859, 860, 861, 862 बने हैं। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि प्रथम दृष्टया पैत्रिक प्रतीत होती है। प्रार्थी के अप्रार्थी सं0 1 के पुत्र होने के संबंध में कोई आपति पत्रावली पर उपलब्ध नही है। पैत्रिक सम्पति में पुत्र का प्रथम दृष्टया जन्म से अधिकार होता है। वकील अप्रार्थी द्वारा जबाब व बहस में जो आपति की गई है वे सभी वाद पत्र में तनकी विरचित होकर दोनो पक्षों की साक्ष्य से तय होना है। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी न्यायिक दृष्टान्त वाद पत्र से संबंधित है। भूमि पैत्रिक होने व प्रार्थी अप्रार्थी सं0 1 का पुत्र होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है।
2. सुविधा का संतुलनः— प्रश्नगत भूमि प्रथम दृष्टया पैत्रिक होने व प्रार्थी अप्रार्थी सं0 1 का पुत्र होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है।
3. अपूरणीय क्षतिः— प्रश्नगत भूमि प्रथम दृष्टया पैत्रिक होने व प्रार्थी अप्रार्थी सं0 1 का पुत्र होने से अपूरणीय क्षति का मामला प्रार्थी के पक्ष में है।

इसप्रकार उक्त तीनों बिन्दुओं के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र न्यायोचित होने के कारण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है अनावेदकगण नं. 1 लगायत 5 को ता दावा निर्णय अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात का राजस्व रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। निर्णय आज दिनांक 19.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19.08.19

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner